

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 159/2024

अनवान : -

1. सतपाल पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।

-वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
3. वकील चन्द पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
4. प्रहलाद पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
5. सुन्दर पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
6. निशा उर्फ निमो पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
8. सैना उर्फ गुडी पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र रेसु पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल तहसील नोहर।
10. सावत्री पुत्री रेसु पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल तहसील नोहर।
12. विनोदबाला पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि वादी के दादा रामदयाल पुत्र लिखमा के नाम व रोही मोजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 117/110 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 4 का कुल क्षै. 0.5060 है. भूमि व रोही मोजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि व खाता संख्या 56/56 के कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 9.8670 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 76/70 के कुल खसरे 65 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।



u

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 12 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कि बुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 कि बहिने है मुताबीक पारिवारीक समझोता उपरोक्त भूमि में जो भी अपना हक व हिस्सा है अपने भतिजो व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की मृतक बुआ रेसु पुत्री रामदयाल के वारिस है वह उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है अपने मामा के पुत्रो व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है व प्रतिवादी सं. 11 ता 12 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कि बहिने है व प्रतिवादी संख्या 1 कि पुत्री है वह उपरोक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो व पिता के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा रोही मोजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 117/110 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 4 का कुल क्षै. 0.5060 है. भूमि व रोही मोजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि व खाता संख्या 56/56 के कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 9.8670 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 76/70 के कुल खसरे 65 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मुताबिक पारिवारीक समझौता 1/5 हिस्सा पर वादी काबिज है व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण रामदयाल, सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा रामदयाल व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी के दादा रामदयाल का देहान्त हो चुका है। रामदयाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 12 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कि बुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 कि बहिने है मुताबीक पारिवारीक समझौता उपरोक्त भूमि में जो भी अपना हक व हिस्सा है अपने भतिजो व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की मृतक बुआ रेसु पुत्री रामदयाल के वारिस है वह उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है अपने मामा के पुत्रो व मामा के पक्ष में परित्याग कर चुके है व प्रतिवादी सं. 11 ता 12 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कि बहिने है व प्रतिवादी संख्या 1 कि पुत्री है वह उपरोक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो व पिता के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझौता रोही मोजा रोही मोजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 117/110 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 4 का कुल क्षै. 0.5060 है. भूमि व रोही मोजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि व खाता संख्या 56/56 के कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 9.8670 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 76/70 के कुल खसरे 65 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मुताबिक पारिवारीक समझौता 1/5 हिस्सा पर वादी काबिज है व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मोजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि वादी के दादा रामदयाल पुत्र लिखमा के नाम व रोही मोजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 117/110 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है० भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 4 का कुल क्षै. 0.5060 है. भूमि व रोही मोजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है० भूमि व खाता संख्या 56/56 के कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 9.8670 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 76/70 के कुल खसरे 65 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा रामदयाल व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी के दादा रामदयाल का देहान्त हो चुका है। रामदयाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 12 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 12 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कि बुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 कि बहिने है मुताबीक पारिवारीक समझौता उपरोक्त भूमि में जो भी अपना हक व हिस्सा है अपने भतिजो व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 जो कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की मृतक बुआ रेसु पुत्री रामदयाल के वारिस है वह उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है अपने मामा के पुत्रो व मामा के पक्ष में प्ररित्याग कर चुके है व प्रतिवादी सं. 11 ता 12 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 कि बहिने है व प्रतिवादी संख्या 1 कि पुत्री है वह उपरोक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है व अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाईयो व पिता के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझौता रोही मोजा रोही मोजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 117/110 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है० भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 4 का कुल क्षै. 0.5060 है. भूमि व रोही मोजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है० भूमि व खाता संख्या 56/56 के कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 9.8670 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 76/70 के कुल खसरे 65 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में मुताबिक पारिवारीक समझौता 1/5 हिस्सा पर वादी काबिज है व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/5 हिस्सा भूमि पर काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए

इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक रामदयाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि में से मृतक रामदयाल पुत्र लिखमा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मोजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 117/110 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 4 का कुल क्षै. 0.5060 है. भूमि व रोही मोजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है0 भूमि व खाता संख्या 56/56 के कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 9.8670 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या 76/70 के कुल खसरे 65 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 159/2024

अनवान : -

1. सतपाल पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।

-वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
3. वकील चन्द पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
4. प्रहलाद पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
5. सुन्दर पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
6. निशा उर्फ निमो पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलिका तहसील नोहर।
8. सैना उर्फ गुडी पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. ओमप्रकाश पुत्र रेसु पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल तहसील नोहर।
10. सावत्री पुत्री रेसु पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल तहसील नोहर।
12. विनोदबाला पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 159 सन 2024 निर्णय दिनांक -01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 3 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 69/65 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि में से मृतक रामदयाल पुत्र लिखमा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मोजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 117/110 के कुल खसरे 9 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है० भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 4 का कुल क्षै. 0.5060 है. भूमि व रोही मोजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.7830 है० भूमि व खाता संख्या 56/56 के कुल खसरे 47 का कुल क्षेत्रफल 9.8670 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मोजा 15 एनटीआर ए के खाता संख्या

al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

76/70 के कुल खसरे 65 का कुल क्षेत्रफल 12.6500 है. भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

as
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर